संख्या-306/2024/3028/22-2-2023-17(389)/2022

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 28 नवम्बर, 2024*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फूल सिंह पुत्र श्री उदयभान सिंह, निवासी जनपद-प्रयागराज वर्तमान जनपद-कौशाम्बी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-23877/प्रोबे0-5/दया0/के0का0नैनी-2762, दिनांक 24.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फूल सिंह पुत्र श्री उदयभान सिंह, अरका फतेहपुर, थाना-करारी, जनपद-प्रयागराज वर्तमान जनपद-कौशाम्बी का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद के कारण दिनांक 27.08.1979 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरसा व बन्दूक से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-39/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 31.03.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.10.2012 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.03.2022 तक 09 वर्ष 05 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष अपरिहार 09 वर्ष 05 माह 05 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष 00 माह 10 दिन की भोगी गयी सजा तथा जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फूल सिंह (बन्दी संख्या-332/13) पुत्र श्री उदयभान सिंह, निवासी जनपद-प्रयागराज वर्तमान जनपद-कौशाम्बी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-306/2024/3028(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (एस)(क्रि0) नं0 (एस)-8/2022 फूल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.02.2022 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in